न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0

प्रार्थना — पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सिलसिले मुकदमा नम्बर 22/2017 उनवानी नत्थो वगै0 बनाम बाबूलाल वगै0

आदेश

दिनांकः— 22—11—2018

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण बाबूलाल वगै0 जाति लोधा निवासी जघीना तहसील व जिला भरतपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण द्वारा वादपत्र आराजी खसरा नम्बरान 6549/0.25, 797/0.50, 799/0.18, 800/0.07, 825/0.037, 814/0.29, 4606/0.14, 4645/0.23, 1008/0.32, 1024/0.10, 1026/0.30, 1027/0.25, 2054/0.13, 4608/0.15, 4646/0.29, 6548/0.23, 1005/0.30, 1014/0.10, 1021/0.60, 1023/0.26, 786/0.24, 787/0.50, 801/0.53, 816/0.57, 2832/0.28, 4607/0.14, 4568/1/0.23, 1006/0.46, 1007/0.34, 1017/0.25, 2055/0.21, 789/0.22, 790/0.30, 791/0.44, 817/0.47 वाके ग्राम जघीना नंबर 1 तहसील व जिला भरतपुर एवं खसरा नंबर 785/1.21 हैक्टेयर वाके ग्राम तमरौली तहसील भरतपुर में स्थित है, की बावत् घोषणा व विभाजन व हुक्म इन्तनाई दवामी की बावत् धारा 88—89 व 188 आर.टी. एक्ट के तहत दावा पेश किया गया है।

सर्वप्रथम तो उक्त समस्त खसरा नंबरान को वादीगण द्वारा ग्राम जघीना नंबर 1 तहसील भरतपुर में स्थित होना अंकित किया है, जो गलत है। उपरोक्त खसरा नंबरान (दावा की मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नंबर 6549 लगायत 817) ग्राम जघीना नंबर तहसील भरतपुर में स्थित नहीं है। वादीगण द्वारा स्पष्ट वाद दर्शित नहीं किया है।

इसी प्रकार खसरा नंबर 785/1.21 को वादीगण द्वारा ग्राम तमरौली तहसील भरतपुर में स्थित होना अंकित किया है जबकि ग्राम तमरौली में इस खसरा नंबर के अतिरिक्त खसरा नंबर 786, 787, 789, 790, 791, 797, 799, 800, 801, 816,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

817, 825, 814 भी स्थित है, जिनको अंकित नहीं किया है। वाद स्पष्ट न होने के कारण काबिले खारिज है।

वादीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण विभाजन का दावा पेश किया है और विभाजन के लिए समस्त आराजी का अंकन होना चाहिए तभी विभाजन संभव है। वादीगण द्वारा ग्राम जघीना नंबर 2 व 3 तहसील भरतपुर में स्थित आराजी का कोई जिक्र भी दावा में नहीं किया है। इसी कारण विभाजन का वादपत्र चलने योग्य नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सहमति के आधार पर आराजी का विभाजन हो चुका है जो कि न्यायालय तहसीलदार भरतपुर के समक्ष हुआ है जिसके वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझौता के आधार पर विभाजन हुआ है। जिसमें सहमति बावत स्टाम्प भी वादीगण द्वारा अपने हस्ताक्षर कर पेश किये हैं जिसके आधार पर विभाजन हुआ है। और राजीनामा के आधार पर विभाजन होने पर आराजी का अलग–अलग कुर्रे होकर नामांतकरण तहसीलदार भरतपुर द्वारा तस्दीक किया गया जो निम्न प्रकार है –

नामान्तकरण संख्या	स्वीकृत दिनांक	ग्राम
841	06.05.2010	जघीना नंबर 1
892	06.05.2010	जघीना नंबर 1,2
1105	03.05.2010	जघीना नंबर 3
114	60.05.2010	तमरौली

उपरोक्त नामांतकरण वादीगण की पूर्ण सहमति के आधार पर हुए विभाजन के आधार पर व पत्रावली का निस्तारण होने पर न्यायालय तहसीलदार भरतपुर द्वारा किये गए हैं। जिनसे वादीगण और प्रतिवादीगण पाबंद हैं और इसी आधार पर आराजी का विभाजन और कब्जा भी उसी प्रकार हो चुका है। अर्थात न्यायालय तहसीलदार भरतपुर द्वारा किए गए विभाजन का अमल भी हो चुका है। वादीगण पर एस्टोपिल का सिद्धान्त आरिज होता है। दावा वादीगण इसी स्टेज पर काबिल खारिजी के है। न्यायालय तहसीलदार भरतपुर के विभाजन के निर्णय व नामान्तरण की कोई अपील वादीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में नहीं की गई है इसी कारण वादीगण का वादपत्र धारा 10 व 11 सी.पी.सी. से बाधित होने से काबिल खारिज है। इस प्रकार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण/अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र जवाब प्रस्तुत कर अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये हैं, वे स्वीकार नहीं हैं। गलत एवं बनावटी कथन किए गये हैं। वादीगण/प्रतिवादीगण के मध्य कभी कोई राजीनामा विधिवत रूप में बाई मीट्स एंड बाउन्ड्स नहीं हुआ है। सभी नामान्तकरण गलत एवं विधि विरूद्ध हैं। विभाजन न्यायालय से धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भूमि धारक तहसीलदार की अनुमति से ही संभव है। ऐसा कोई विभाजन पक्षकारों के मध्य कभी नही हुआ है। तहसीलदार को विभाजन करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। विभाजन न्यायालय सहायक कलक्टर के द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए कथित नामान्तकरण व आदेश नियमित वाद के निर्णय व डिक्री परिभाषा में नहीं आते हैं। इसलिए धारा 10 व 11 सी.पी.सी. का प्रस्तुत प्रकरण पर प्रभाव नहीं रखते हैं। बिना जवाब दावा के बिना उचित विवाधक बनाए व साक्ष्य लिए प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन कर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया।

प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी का खातेदारान के मध्य तहसीलदार भरतपुर द्वारा विभाजन किया जा चुका है। जिसके आधार पर नामांतकरण तस्दीक हो चुका है। न्यायालय तहसीलदार भरतपुर के विभाजन के निर्णय व नामान्तकरण की कोई अपील वादीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में नहीं की गई है। इसी कारण वादी का वादपत्र 10 व 11 सी.पी.सी. से बाधित होने से काबिल खारिजी के है। उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में वादी का कथन है कि तहसीलदार को विभाजन करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए कथित नामान्तकरण व आदेश नियमित वाद के निर्णय व डिक्री परिभाषा में नहीं आते हैं ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन पर वादग्रस्त आराजी के विभाजन बावत् समस्त खातेदारान के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (खातेदारी कृषि भूमि का आपसी समझौते से बंटवारा) तहसीलदार भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर सभी सहखातेदारों के हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा आपसी

समझौते के आधार पर आराजी का विभाजन किया गया है। जिसका नामांतकरण भी स्वीकृत हो चुका है। तहसीलदार को भूमिधारी होने के कारण आपसी सहमति के आधार पर पारस्परिक बंटवारा करने का पूर्ण अधिकार है। उक्त विभाजन को किसी भी प्रकार से त्रुटिपर्ण नहीं माना जा सकता। वर्तमान दावा में वर्णित आराजी व पक्षकार एवं तहसीलदार द्वारा पूर्व में किये गए विभाजन के पक्षकार और आराजी भी समान है। तहसीलदार भरतपुर द्वारा विभाजन सही किया गया है। यदि वादीगण तहसीलदार के विभाजन से असंतुष्ट थे, तो उन्हें स्वीकृत नामांतकरण के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। इस प्रकार पूर्व बंटवारा वर्तमान दावा के पक्षकार व आराजी समान होने से दावा वादीगण धारा 11 सी.पी.सी. (पूर्व न्याय) से बाधित है। अतः हमारे न्यायिक मत में प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाकर दावा वादीगण काबिल खारिज के है।

अतः आज्ञा है कि –

प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वाद वादीगण धारा 11 सी.पी.सी. (पूर्व न्याय) से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 22.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर